



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.11.23

थाना इन्दिरापुरम पर दिनांक 07.11.23 को पेट्रोल पम्प कर्मचारीयो से 9.56 लाख रु कैश की लूट करने वाले फरार मुख्य अभियुक्त अभिषेक उर्फ लैपर्ड समेत कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगणों के कब्जे से लूटे गये बैग समेत 2 लाख 30 हजार रु कैश, 01 तमंचा मय 02

जिंदा कारतूस बरामद करते हुये लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया।

दिनांक 07.11.2023 को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत स्थित पेट्रोल पम्प के कर्मचारीयो से मंगल चौक के पास कैश जमा कराने जाते समय 02 अज्ञात बाइक सवारों द्वारा 9.56 लाख रु कैश की लूट की घटना कारित की गयी थी जिसमे सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर वादी श्री दीपक कुमार की लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत घटना के सफल अनावरण हेतु टीमें गठित की गयी थी।

उक्त घटना मे थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम व स्वाट टीम ट्रान्स हिण्डन गाजियाबाद द्वारा सर्विलांस , मैनुएल इनपुट व सीसीटीवी फूटेज व साक्ष्य एकत्र करते हुये दिनांक 15.11.23 को घटना में फरार मुख्य अभियुक्त अभिषेक उर्फ लैपर्ड समेत घटना मे शामिल 02 अन्य अभियुक्त सागर व सूरज पुत्रराज राजेन्द्र को रैड लाईट , वसुन्धरा के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण मे दिनांक 11.11.23 को घटना मे शामिल 05 अन्य अभियुक्तों को पूर्व मे ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त अभिषेक , सागर व सूरज से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये की सागर व सूरज दोनों आपस मे सगे भाई है , तथा अभिषेक उर्फ लैपर्ड के पड़ोसी है तथा इन दोनों भाईयो ने ही अभिषेक उर्फ लैपर्ड व अन्य को लूट की योजना बताई थी तथा पूरी पेट्रोल पम्प के कैश की लूट के सम्बन्ध मे जानकारी दी थी। अभिषेक उर्फ लैपर्ड पहले राजनगर गाजियाबाद मे आरडीसी के पास पेट्रोल पम्प पर तेल डालने का काम करता था, करीब 4 महीने पहले वहा पर मालिक से पैसो को लेकर अभिषेक उर्फ लैपर्ड को वहा से निकाल दिया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात राहुल पुत्र राजकुमार ठाकुर निवासी चक्की वाली गली हरवंश नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद के पटेल नगर मे टूर एण्ड ट्रैवल्स के आफिस मे अमित पाल उर्फ मोनू पुत्र मनोज पाल निवासी म0न0 362 गली न0 5 हरवंश नगर घूकना थाना नन्दग्राम गाजियाबाद से हुई। धीरे धीरे तीनों लोगों (अभिषेक उर्फ लैपर्ड, राहुल व अमितपाल) मे आपस मे अच्छी दोस्ती हो गयी। राहुल का टूर एण्ड ट्रैवल्स का काम पिछले 02 महीने से खराब चल रहा था, अमित को भी सैलरी नहीं मिल पा रही थी। इधर नौकरी जाने के बाद अभिषेक उर्फ लैपर्ड भी काफी परेशान था जिसके घर के पड़ोस में सागर पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी घूकना थाना नन्दग्राम गाजियाबाद व सूरज पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी घूकना थाना नन्दग्राम गाजियाबाद रहते थे, सागर और सूरज इन्दिरापुरम नीतिखंड में भारत पेट्रोल पम्प पर सैल्स मैन का काम करते हैं, सागर अभी तीन महीने पहले रेप के मुकदमे मे जेल चला गया था वहा से लौटकर आने के बाद उसे पम्प पर काम नहीं मिल पा रहा था, सूरज पम्प पर काम कर रहा था, सागर व सूरज दोनों ने अभिषेक को बताया कि उनके पम्प से रोजाना पेट्रोल पम्प के दो कर्मचारी टीवीएस मोटर साईकिल नम्बर यूपी14सीएक्स. 3732 ग्रे कलर से मोटा कैश जमा करने एसबीआई बैंक मंगल चौक के पास नीतिखंड मे जाते हैं, उनके साथ कोई गार्ड भी नहीं रहता है, यदि उनके साथ लूट की जाए तो काफी पैसे मिल सकते हैं, लेकिन इसमे हमारा नाम नही आना चाहिए, हम तुम्हारे अलावा किसी और के सामने नहीं आएंगे, जो पैसे मिले उसमें से तुम हमें दे देना, हमारा नाम नही आना चाहिए, सूरज और सागर ने ही अभिषेक उर्फ लैपर्ड को पेट्रोल पम्प व उसके आसपास की सारी जानकारी दी थी जिसके बाद अभिषेक उर्फ लैपर्ड ने अपने अन्य साथी अमित पाल उर्फ मोनू , राहुल , राजेश , संदीप व यश कुशवाहा के साथ मिलकर लूट की घटना कारित की थी। लूट के पैसों में से अभिषेक उर्फ लैपर्ड ने 40-40 हजार रु दोनों भाईयो सागर व सूरज को दिये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

- 1- अभिषेक उर्फ लैपर्ड पुत्र हरवीर धोबी निवासी म0न0 1135 गली न0 7 घूकना मोड थाना नंदग्राम गाजियाबाद उम्र 23
- 2- सागर पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी घूकना थाना नंदग्राम गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष
- 3- सूरज पुत्र राजेन्द्र निवासी घूकना थाना नंदग्राम गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

बरामदगी

- 2 लाख 30 हजार रु कैश मय लूटा गया बैग
- 01 तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- स्वाट टीम ट्रांस हिण्डन कमिश्नेट गाजियाबाद
- थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 बैटरी व 48500/रु- नकद (चोरी के माल बेचकर प्राप्त) व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद ।

दिनांक 24.08.23 को थाना हाजा पर वादी गौरव पुत्र वीर सिंह शिवम इन्फ्राकोम प्रा0 लि0 नि0 ए -176 सै 69 ग्रेटर नोएडा की लिखित तहरीर के आधार पर टावर से उपकरण चोरी होने के संबन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था तथा दिनांक 15.11.23 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 80 फुटा रोड पर कृष्णा जूस कार्नर शालीमार गार्डन के पास से 03 अभियुक्तगण 1.आसिफ पुत्र शौकीन निवासी 30 फुटा रोड मदीना मस्जिद के पास अशोक विहार,लोनी गाजियाबाद 2.शादाब पुत्र मोमीन निवासी 30 फुटा रोड मदीना मस्जिद के पास अशोक विहार,लोनी गाजियाबाद 3.फैजान पुत्र मरहूम मुंशी हाल पता 120 गरिमा गार्डन गाजियाबाद मूल पता अनूपशहर अड्डा बुलन्दशहर को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 10 बैटरी व 48500/रु- नकद (चोरी के माल बेचकर प्राप्त) व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुई है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वह एक साथ मिलकर इसी कार से टावरों की बैटरी व अन्य उपकरण चोरी करते हैं व उनको बेचकर अपना खर्चा चलाते हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. आसिफ पुत्र शौकीन निवासी 30 फुटा रोड मदीना मस्जिद के पास अशोक विहार, लोनी गाजियाबाद
2. शादाब पुत्र मोमीन निवासी 30 फुटा रोड मदीना मस्जिद के पास अशोक विहार, लोनी गाजियाबाद
3. फैजान पुत्र मरहूम मुंशी हाल पता 120 गरिमा गार्डन गाजियाबाद मूल पता अनूपशहर अड्डा बुलन्दशहर

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हाजा पर एक अभियोग चोरी का पंजीकृत है।
2. अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लिंक रोड पर एक अभियोग चोरी का पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

कब्जे से 10 बैटरी व 48500/रु- नकद (चोरी के माल बेचकर प्राप्त) व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा महमूदपुर हत्याकान्ड की घटना का 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 23.10.2023 को थाना टीला मोड़ पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महमूदपुर पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है। थाना टीला मोड़ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा वादी विनोद पुत्र बाबूराम की प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया । थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण कर पूर्व में 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है तथा आज दिनांक 16.11.2023 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर हत्या के अभियोग में वाँछित अभियुक्त आनन्द पुत्र बलजीत नि0 ग्राम महमूदपुर थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ अभियुक्त -

आनन्द उपरोक्त ने पूछताछ पर अपने जुर्म का इकबाल करते हुये बताया प्रमोद उर्फ लालू की हत्या की योजना मेरे सामने बनायी गयी थी । मुझे हत्या करने वाले लोगों की जमानत एवं केस में खर्च होने वाले पैसों की जिम्मेदारी दी गयी थी । और मैंने यह जिम्मेदारी स्वीकार की थी । तथा मुझे प्रमोद उर्फ लालू की हत्या की पूरी जानकारी थी ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

आनन्द पुत्र बलजीत नि0 ग्राम महमूदपुर थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम

**थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा मारपीट कर मोबाइल व रुपये छीनने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से लूटे गये रुपयों में से प्राप्त दो हजार रुपये बरामद**

दिनांक 11.11.23 को थाना वेव सिटी पर वादी श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र शुक्कन सिंह निवासी पचायतन थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर ने अभियुक्तों द्वारा वादी के साथ मारपीट कर गाड़ी में रखा मोबाइल व 12000/- रुपये छीन ले जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया। घटना के अनावरण हेतु थाना स्तर से दो टीमों का गठन किया गया। दिनांक 13.11.23 को थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण कर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अभियुक्तों के कब्जे छीना गया एक मोबाइल व 1000/- रुपये बरामद किये गये थे।

आज दिनांक 16.11.23 को थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग में फरार अभियुक्त अंकित नागर पुत्र मनोज नागर निवासी ग्राम कचेडा थाना बादलपुर जिला गौतम बुद्ध नगर उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से लूटे गये रुपयों में से प्राप्त दो हजार रुपये बरामद हुए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त -

अंकित नागर पुत्र मनोज नागर निवासी ग्राम कचेडा थाना बादलपुर जिला गौतम बुद्ध नगर उम्र 32 वर्ष,

बरामदगी का विवरण:-

लूटे गये रुपयों में से प्राप्त दो हजार रुपये,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।